आवश्यक शर्ते :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य दर पर (प्राथमिकता) दी जायगी।
2. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी की संख्या एवं उपलब्ध बुडर का आँकड़ा देना अनिवार्य होगा।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति चरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत करना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में मेजर कार्प मछली का होना अनिवार्य होगा।
5. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय में पहुँचाने के उपरांत अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचाकर करना होगा।
6. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उतरजिविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में न्यूनतम 30000 तथा अधिकतम 50000 (आयतन में अधिकतम 100 ml) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। प्रत्येक खेप स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ कलस्टर के अनुरूप प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या का निर्धारण संलग्न कर सूची उपलब्ध करायी जायगी, जिसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
7. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का विगत एक वर्ष का अनुभव एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. वित्तीय वर्ष 2019–20 का (GST in) रिर्टन जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को पैन कार्ड की छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
10. विगत तीन मूल्यांकन वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने तथा उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नही होने का स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा के साथ संलग्न सभी प्रतियॉ/छायाप्रतियॉ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
13. निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के रूप में राशि मो0–150000/रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से हजारीबाग में भुगतेय होगा, एवं दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, दर प्रस्ताव (डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय संहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर ''वित्तीय प्रस्ताव'' अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर ''मत्स्य स्पॉन के लिए निविदा'' अंकित कर तथा लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। निविदा कमिटी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा पहले खोली जायेगी, तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही, वित्तीय निविदा खोली जायेगी इसलिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए तथा आपूर्तिकर्ता /संबंधित उपक्रम की मुहर होनी चाहिए।
14. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचाकर देना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित सफल निविदादाता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी। तथा उसी दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा।
15. निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
16. निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शूल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीकृत निविदा राशि का 10% लाभुक (मत्स्य बीज उत्पादक) द्वारा एवं शेष 90% राशि विभाग द्वारा देय होगा। तथा जलाशय के छाड़न में संचयन हेतु आपूर्ति की जाने वाली स्पॉन का 100 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा भुगतान की जायेगी।
17. निविदा के उपरांत निर्गत कार्यादेश के प्रतिकूल कार्य होने/निविदा की शर्तो का उल्लंघन अथवा कार्य के दौरान किसी भी तरह के कानूनी विवाद होने की स्थिति में निपटारे हेतु क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय, हजारीबाग का होगा।
18. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिर्वतन करने, निविदा आमंत्रण की शर्तो में बिना कारण बताए अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने, अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
19. निविदा दिनांक 11.06.2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन मध्यान 12:00 बजे उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकतें है।

ह0/–
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
हजारीबाग।